न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ,कोठी महल, उज्जैन

क्रं– 129/री.1/2020 दिनांक 13/02/2020

//प्रेस नोट//

न्यायालय आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 220/2015. 16/निगरानी मे पारित आदेश दिनांक 06.12.18 के अंतिम पैरा अनुसार उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को लोक प्रयोजन हेतु भू अर्जन के तहत प्राप्त किया जाना है,अतएव प्रश्नाधीन भू अर्जन को निरस्त किये जाने संबंधि आपत्ति के अंश को अस्वीकृत किया जाता है । प्रकरण मे आये तथ्यो तथा विवेचना एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.06.2008 के परिपेक्ष्य मे आवंटिती,जो भू अर्जन अधिनियम की धारा 4 के प्रकाशन के समय प्रश्नाधीन भू खण्डो के स्वत्वधारी थे, को पक्षकार बनाकर ही भू अर्जन की कार्यवाही की जाना विधि अनुसार होने के कारण प्रकरण मे धारा 5 (क) के अंतर्गत प्राप्त आपत्तियों का उक्तानुसार निराकरण करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ कलेक्टर जिला उज्जैन को प्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण मे **क्षिप्रांजली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन के समस्त भूखण्ड धारको** को सुनवाई का मौका देते हुये भू अर्जन अधिनियम के प्रावधानो के अनुरूप भू अर्जन की आगामी कार्यवाही संपादित करे।

अतः उपरोक्त के संबंध मे प्रत्येक दिवस न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी कोठी महल उज्जैन पर सुनवाई की जा रही है ।

एतद् द्वारा उपरोक्त से संबंधित समस्त **क्षिप्रांजली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित उज्जैन के समस्त भूखण्ड धारको** तथा हितबद्ध पक्षकारो को सूचित किया जाता है कि अपना पक्ष समर्थन हेतु **न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी कोठी महल उज्जैन मय दस्तावेज (लिखित आपत्ति,रजिस्ट्री की छायाप्रति,पहचानपत्र आदि) के** उपस्थित रहने का कष्ट करे।

(संजीव साहु)
अनुविभागीय अधिकारी
कोठी महल, उज्जैन
अनुविभागीय अधिकारी कोठी महल जिला उज.

पृ.क्रं 129/री.1/2020 दिनांक 13/02/2020

प्रतिलिपिः–

1/ कलेक्टर महोदय जिला उज्जैन की ओर सादर सूचनार्थ।

2/ जनसंम्पर्क अधिकारी, उज्जैन की ओर भेजकर लेख है कि जिले के विभिन्न समाचार पत्रो मे आगामी तीन दिवस प्रकाशन कराने का कष्ट करें।

अनुविभागीय अधिकारी
कोठी महल, उज्जैन
अनुविभागीय अधि.
अनुभाग कोठी महल जिला उज.